

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्र. 6668-134-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २७ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २९ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १३३-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द "एक प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"नगरपालिक निगम को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिक निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा."

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३७ सन्
१९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १६१ में, उपधारा (१) के आरंभिक पैरा में,—

(एक) शब्द "एक प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) कोलन के स्थान पर पूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् को इस प्रकार प्राप्त होने वाली शुल्क की राशि का उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अथवा ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से लिए गए ऋणों का प्रतिसंदाय करने में किया जाएगा."

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्र. 6668-134-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 20 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 27th April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 29th April, 2016].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016. Short title.

PART-I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 133-A in sub-section (1),— Amendment to the Madhya Pradesh Act. No. 23 of 1956.

(i) for the words "one per centum", the words "two per centum" shall be substituted;

(ii) the following provision shall be added, namely :—

"The amount of duty so received to the Municipal Corporation shall be used for implementation of infrastructure development projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Corporation."

PART-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 161, in the opening paragraph of sub-section (1),— Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

(i) for the words "one per centum", the words "two per centum" shall be substituted;

(ii) for colon, the full stop shall be substituted and thereafter the following provision shall be added, namely :—

"The amount of duty so received to the Municipal Council or Nagar Parishad shall be used for implementation of infrastructure development projects or for repayment of loans taken for implementation of such projects by or on behalf of the concerned Municipal Council or Nagar Parishad;"